हुक्म

6.2.20

आज यह पत्रावली पेश हुई बमुलाहिजा पक्षकारान उपस्थित। दावा वादी खारिज किया जाता है निर्णय प्रथक से लिखा गया शामिल पत्रावली है निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद मियाद बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

मूलवाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

ीठासीन अधिकारी :– **मनमोहन मीना**

करण सख्याः– 23/14 दायर दिनांकः– 07.04.2014

द्वारिका प्रसाद पुत्र चिरंजी(मृतक) जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर
1:– गोपालराम उम्र 40 साल पुत्र द्वारिका प्रसाद ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
2 :– द्रोपती पत्नी द्वारिका प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
3:– शारदा पुत्री द्वारिका प्रसाद पत्नी द्वारिका जाति ब्राहम्ण निवासी करावली तहसील भुसावर जिला भरतपुर
4:– माया पुत्री द्वारिका प्रसाद पत्नी बल्लभ जाति ब्राहम्ण निवासी करावली तहसील भुसावर जिला भरतपुर
5:– गंगा पुत्री द्वारिका प्रसाद पत्नी दिनेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी लखनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर
6:– सुनीता पुत्री द्वारिका प्रसाद पत्नी सुरेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी लखनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर
7:– मुनीका पुत्री द्वारिका प्रसाद पत्नी रमाकान्त जाति ब्राहम्ण निवासी सिघरावली तहसील वैर जिला भरतपुर
राधेश्याम दत्तक पुत्र धर्मा ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर

——वादीगण

बनाम

जगन्नाथ पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर

——प्रतिवादी

दावा खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बावत् अन्तर्गत
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188
उपस्थित वादी अधिवक्ता :– श्री रामेश्वर दयाल शर्मा
उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ताः– ब्रजकिशोर धाकड

करण सख्याः– 56/14 दायर दिनांकः– 20.06.2014

गन्नाथ उम्र 70 साल पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर

——वादी

बनाम

गोपाल उम्र 40 साल पुत्र द्वारिका ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
प्रवीण उम्र 25 साल पुत्र राधेश्याम ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
धेश्याम उम्र 45 साल पुत्र द्वारिका ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
रिका उम्र 78 साल पुत्र चिरंजी (मृतक)
:– द्रोपती पत्नी द्वारिका जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
– शारदा पुत्री द्वारिका पत्नी द्वारिका जाति ब्राहम्ण निवासी करावली तहसील भुसावर जिला भरतपुर
– माया पुत्री द्वारिका पत्नी बल्लभ जाति ब्राहम्ण निवासी करावली तहसील भुसावर जिला भरतपुर
– गंगा पुत्री द्वारिका पत्नी दिनेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी लखनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर
– सुनीता पुत्री द्वारिका पत्नी सुरेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी लखनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर
– मुनीका पुत्री द्वारिका पत्नी रमाकान्त जाति ब्राहम्ण निवासी सिघरावली तहसील वैर जिला भरतपुर

——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:– डिक्री –: दिनांकः– 06/02/2020

वाद वादीगण द्वारिका वगै.बनाम जगन्नाथ में वाद पत्र बावत खातेदारी घोषणा व स्थाई
अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 एवं 188 की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु अस्वीकार
किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वंय वहन करेंगे।

यह आज दिनॉक 06.02.20 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– **मनमोहन मीना**
प्रकरण सख्याः– 23/14 दायर दिनांकः– 07.04.2014

1. द्वारिका प्रसाद पुत्र चिरंजी(मृतक) जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर
1/1:– गोपालराम उम्र 40 साल पुत्र द्वारिका प्रसाद ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
1/2 :– द्रोपती पत्नी द्वारिका प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
1/3:– शारदा पुत्री द्वारिका प्रसाद पत्नी द्वारिका जाति ब्राहम्ण निवासी करावली तहसील भुसावर जिला भरतपुर
1/4:– माया पुत्री द्वारिका प्रसाद पत्नी बल्लभ जाति ब्राहम्ण निवासी करावली तहसील भुसावर जिला भरतपुर
1/5:– गंगा पुत्री द्वारिका प्रसाद पत्नी दिनेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी लखनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर
1/6:– सुनीता पुत्री द्वारिका प्रसाद पत्नी सुरेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी लखनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर
1/7:– मुनीका पुत्री द्वारिका प्रसाद पत्नी रमाकान्त जाति ब्राहम्ण निवासी सिघरावली तहसील वैर जिला भरतपुर
2. राधेश्याम दत्तक पुत्र धर्मा ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर

––––वादीगण

बनाम

:–जगन्नाथ पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर

––––प्रतिवादी

दावा खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बावत् अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188
उपस्थित वादी अधिवक्ता :– श्री रामेश्वर दयाल शर्मा
उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ताः– ब्रजकिशोर धाकड

प्रकरण सख्याः– 56/14 **दायर दिनांकः– 20.06.2014**

जगन्नाथ उम्र 70 साल पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर

––––वादी

बनाम

गोपाल उम्र 40 साल पुत्र द्वारिका ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
राधेश्याम उम्र 25 साल पुत्र राधेश्याम ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
बल्लभ उम्र 45 साल पुत्र द्वारिका ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
द्वारिका उम्र 78 साल पुत्र चिरंजी (मृतक)
द्रोपती पत्नी द्वारिका जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
शारदा पुत्री द्वारिका पत्नी द्वारिका जाति ब्राहम्ण निवासी करावली तहसील भुसावर जिला भरतपुर
माया पुत्री द्वारिका पत्नी बल्लभ जाति ब्राहम्ण निवासी करावली तहसील भुसावर जिला भरतपुर
गंगा पुत्री द्वारिका पत्नी दिनेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी लखनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर
सुनीता पुत्री द्वारिका पत्नी सुरेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी लखनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर
मुनीका पुत्री द्वारिका पत्नी रमाकान्त जाति ब्राहम्ण निवासी सिघरावली तहसील वैर जिला भरतपुर

-: निर्णय :- दिनांक:-06/02/2020

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा बाके ग्राम दीवली तहसील भुसावर में स्थित है जिसमें वादी सख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है।

2. उक्त आराजी को वादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 2 के दत्तक पिता धर्मा एवं प्रतिवादी के स्वर्गीय पिता रामजीलाल ने जरिये वयनामा दिनांक 13.01.1953 वाहिस्सा बराबर के रूप में खरीद किया था। जिसका दाखिला खारिज संख्या 69 भी दिनांक 02.11.58 दर्ज व तस्दीक हो चुका है। इस प्रकार उपरोक्त वयनामा से वादीगण व प्रतिवादीगण वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। तथा उसी समय से ही उपरोक्त आराजी को मौके पर हिस्स्से अनुसार काश्त कर रहे हैं। यानि वादी संख्या 1, 1/3 भाग व वादी संख्या 2, 1/3 भाग एवं प्रतिवादी 1/3 भाग के खातेदार हैं।

3. क्रेता धर्मा व रामजीलाल फोत हो चुके हैं। जिसके तर्के पर वादी संख्या 2 राधेश्याम दत्तक पुत्र धर्मा व जगन्नाथ पुत्र रामजीलाल को प्रतिवादी उक्त वाद में पक्षकार मुकदमा बनाया जा रहा है तथा उपरोक्त आराजी को मौके पर वयनामा के आधार पर शुरू से ही वाहिस्सा बराबर के रूप में काश्त करते चले आ रहे हैं।

4. राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 के दत्तक पिता स्वर्गीय धर्मा का नाम इन्द्राज से रह गया है तथा समस्त आराजी प्रतिवादी स्वर्गीय पिता रामजीलाल के नाम हो गई है जो खिलाफ मौका व कानूनन है व कलमजन होने योग्य है। जबकि मौके पर आज भी उपरोक्त आराजी को बाहिस्सा बराबर के रूप में वादीगण व प्रतिवादी काश्त करते चले आ रहे हैं तथा इस फसल में भी उपरोक्त आराजी में वाहिस्सा बराबर के रूप में वादीगण एवं प्रतिवादी ने गेंहूँ व सरसों की फसल बोई थी जो वाहिस्सा बराबर के रूप में काटी है।

5. उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी ने वादीगण को दिनांक 04.04.14 को बाके ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर में खुले आम धमकी दी है कि वह उपरोक्त आराजी को रहन व मुन्तकिल कर देगा व वादीगण को उसके हिस्से से महरूम कर दूंगा। व उपरोक्त आराजी को गढ्ढे खोदकर नाकाबिल काश्त कर दूंगा। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त आरजी सम्पूर्ण रूप से उसके नाम खातेदार है, यदि प्रतिवादी अपनी उक्त धमकी में सफल हो गया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी ।

6. यह है कि दिनाय मुखासमत दावा धमकी दिनांक 04.04.14 को बाके ग्राम कमालपुरा में पैदा हुई अतः अन्दर मियाद पेश है।

प्रार्थना है कि वादीगण के खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(1) यह घोषित करवाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 12 बीघा 6 विस्वा बाके ग्राम दीवली तहसील भुसावर में वादीगण एवं प्रतिवादी का हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। यानि कि वादी संख्या 1, 1/3 व प्रतिवादी संख्या 2, 1/3 एवं प्रतिवादी 1/3 काश्तकार है, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाया जावे एवं प्रतिवादी के नाम हो रहे सम्पूर्ण खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन करवाया जावे।

(2) यह है कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे कि वह वादीगण के 2/3 ... किसी प्रकार की कब्जा करने में व्यवधान उत्पन्न न करे यानि कि किसी प्रकार की मदाखलत व

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये जबाब दावा प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर, 32 रकबा 12 बीघा 6 विस्वा बाके ग्राम दीवली तहसील भुसावर में होना स्वीकार है परन्तु वादी संख्या 1 व 2 का प्रतिवादी के साथ वाहिस्सा बराबर बराबर का खातेदार व काबिज होना स्वीकार नहीं है बल्कि प्रतिवादी ही सम्पूर्ण आराजी पर न्यारा नूर काबिज खातेदार काश्तकार है।

2 .स्व. धर्मा एवं द्वारिका प्रसाद तथा प्रतिवादी के पिता रामजीलाल द्वारा विवादित आराजी को दिनांक 13.01.1953 बाहिस्सा बराबर बराबर रूप खरीद किये जाने के बारे में प्रतिवादी को कोई जानकारी नहीं है और ना ही ऐसे किसी बयनामा के आधार पर दाखिला खारिज संख्या 69 दिनाकं 02.11.1958 या अन्य किसी तारीख को दर्ज होना व तस्दीक होना स्वीकार है और इसके आधार पर वादीगण संख्या 1 व 2 प्रतिवादी के साथ खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी बाहिस्सा बराबर बराबर होना स्वीकार नहीं है तथा मौके र भी वादीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा 1/3 हिस्से के हिसाब से नहीं हैं । बल्कि संपूर्ण आराजी पर प्रतिवादी का ही मौके पर ही कब्जा हैं । डोल मेड डली हुई है।

वाद पत्र की मद संख्या 3 में धर्मा व रामजीलाल फौत होना स्वीकार है और वादीगण संख्या 2 राधेश्याम वादीगण संख्या 1 द्वारिका प्रसाद का प्रतिवादी के साथ वयनामे के आधार पर मौके पर कभी कोई कब्जा श्त नहीं रहा है बल्कि प्रतिवादी का सम्पूर्ण आराजी पर मौके पर कब्जा काश्त है और इससे पूर्व उसके ता रामजीलाल का सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा काश्त था।

. विवादित आराजी सम्पूर्ण मौका कब्जा के अनुसार संवत 2012 से पूर्व से ही प्रतिवादी के पिता जीलाल का गैर मौरौसी के रूप में काबिज होने से कानून के अनुसार खातेदारी दर्ज हुई है जिसमें स्व कर्मचारियों की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है तथा मौके पर खसरा गिरदावरी के अनुसार ही वादी ने ही सम्पूर्ण विवादित आराजी में गेंहूँ व सरसों की फसल बोई थी जो अकेले प्रतिवादी ने काटी था वादीगण द्वारा न तो कभी कोई फसल बोई है और न ही उसके द्वारा काटी गई है।

वादीगण ने अनावश्यक ही दिनांक 04.04.2014 को प्रतिवादी द्वारा धमकी देना लिखा है। जबकि उसने प्रकार की कोई धमकी वादीगण को नहीं दी तथा संवत 2012 से पूर्व से ही प्रतिवादी कि पिता जीलाल का व उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी के नाम विरासत का दाखिला खारिज होने पर विवादित जी पर प्रतिवादी का कब्जा है इस प्रकार वादीगण का किसी प्रकार का विवाद कारण पैदा नहीं हुआ है उन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। बिना विवाद कारण के आधार पर भी यह प्रकरण खारिज योग्य है।

प्रतिवादी ने दिनांक 04.04.14 को वादीगण को किसी प्रकार की कोई धमकी ही नहीं दी है तो उन्हें प्रकार की विनाय मुखास्मत पैदा नहीं होती है। अतः दावा अवधि में पेश नहीं है।

द पत्र की मद संख्या 9 प्रार्थना पत्र उपखण्ड संख्या 1 व 2 गलत है व स्वीकार नहीं है। वादी पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध कोई दादरशी प्राप्त करने का अधिकारी

है कि विवादित आराजी पर संवत 2012 से पूर्व से प्रतिवादी का पिता रामजीलाल कब्जे में था तथा सी की हैसियत से था। तब [illegible] कोर्ट के अनुसार अमील होने के बाद ऐसे गैर मौरौसी [illegible] टेनेन्सी एक्ट [illegible] के बाद खातेदार दर्ज कर दिया गया और प्रतिवादी का

काबिज काश्तकार चला आ रहा है तथा लगान अदा करता चला आ रहा है। और फसल जोतता,बोता, काटता चला आ रहा है। वादीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा व इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में न तो कभी रहा और ना मौके पर है। जहॉ तक दाखिला खारिज संख्या 69 दिनांक 02.11.58 का प्रश्न है वह तो उस दिन ग्राम पंचायत कमालपुरा द्वारा खारिज किया गया है। एवं जिस वयनामा को वादीगण आधार बताते है वह वयनामा करने का मौहरसिंह नाम के व्यक्ति को कोई अधिकार ही नहीं था। क्योकि उसका कोई कब्जा ही मौके पर नहीं था और संवत 2010 में विवादित सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी के पिता रामजीलाल का कब्जा था। इस प्रकार ऐसे किसी वयनामा दिनांक 13.01.53 से वादीगण को किसी प्रकार का कोई अधिकार आराजी में पैदा नहीं हुए और ना दाखिला खारिज तस्दीक हुआ और ना किसी ऐसे किसी दाखिला खारिज का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हुआ।

. द्वारिका प्रसाद व धर्मा ने सन 1972 में इसी प्रकार का दावा एसडीओ बयाना में नम्बर 1490 सन 1972 उनवानी द्वारिका बनाम रामजीलाल प्रस्तुत किया था। जिस में वाद सुनवाई दिनांक 18.03.1974 को खारिज गया। जिसकी पत्रावली तलफ हो चुकी है। इस प्रकार पुनः इसी प्रकार का दावा लाने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं हैं । वादीगण को जो भी अधिकार मिलते वह तभी मिलते जब उनके पिताओं के नाम दाखिल खारिज होता या राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज होते। परन्तु वादीगण के पिताओं ने अपने जीते जी कोई कार्यवाही नहीं की और ना ही दाखिला खारिज तस्दीक करवाया और राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया तब प्रकरण रेसज्यूडीकेटा से वादित है तथा वादीगण दावा लाने से भी बिबंधित है।

. राधेश्याम वादी संख्या 2 धर्मा का दत्तक पुत्र नहीं था और न 15 वर्ष की आयु तक कोई गोदनामा हुआ उसको धर्मा के स्थान पर दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है।

. सम्पूर्ण आराजी की बावत प्रतिवादी से भी विभिन्न फौजदारी व राजस्व मुकदमे पडौसी दीगर पक्ष के ों से डांगर वगैरह पर चले है। उस समय भी वादीगण ने किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं किया

. उपरोक्त वाद से पूर्व वादीगण द्वारा एक वाद सन 1972 में उपखण्ड अधिकारी महोदय बयाना के यहां दमा नम्बर 1490/72 उनवानी द्वारिका बनाम रामजीलाल प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय श्रीमान द्वारा ंक 18.03.74 को खारिज कर दिया गया था जिसकी पत्रावली तलफ हो चुकी है। इसलिए उक्त वाद में मान द्वारा उपरोक्त विवादित विषय वस्तु के सन्दर्भ में वाद का कारण उत्पन्न होना दिनांक 09.09.72 होना बताया है इसलिए वादी का वाद वादकरण के अभाव में काबिज खारिजी है।

दीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये वाद उनवानी द्वारिका प्रसाद बनाम रामजीलाल वाद संख्या /72 व वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के पिता के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त वाद लय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी द्वारा फैसल किया जा चुका है। इसलिए वादी का उपरोक्त वाद बार डर शूट के सिद्धान्त पर चलने योग्य नहीं है।

विवादित आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 12 बीघा 6 विस्वा बाके ग्राम दीवली तहसील भुसावर स्थित पर शुरू से ही प्रतिवादी के पूर्वज रामजीलाल का कब्जा चला आ रहा है तथा प्रतिवादी के पिता होने के पश्चात सन 1985 में प्रतिवादी के नाम विरासत का दाखिला खारिज दर्ज कर दिया गया में सन 1985 से विवादित आराजी खसरा नम्बर का प्रतिवादी न्यारा नूर खातेदार काश्तकार आराजी चला आ रहा है तथा ... लगान अदा करता चला आ रहा है। वादीगण का कोई भी कब्जा

15. खसरा गिरदावरी राजस्व रिकॉर्ड धारा 140 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रथम दृष्टया कब्जे खातेदारी की सर्वोत्तम साक्ष्य है और ऐसे अभिलिखित खातेदार को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता और प्रतिवादी अपने अधिकारों व कब्जे का उपयोग करने के लिए पूर्णत : स्वतंत्र है।

16. दावा अवधि पार किया गया है एवं प्रतिवादी का व उसके पिता का 60 वर्ष से भी अधिक से अबाधित मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार की हैसियत से कब्जा चला आ रहा है और वादीगण को किसी प्रकार का कोई अधिकार इतने समय बाद विवादित आराजी पर पैदा नहीं होता है। अतः जबाव दावा पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त समस्त वजूहात के आधार पर वाद वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत प्रस्तुत वाद संख्या 56/14 को दिनांक 24.09.15 को वादग्रस्त भूमि व पक्षकारान समान होने के कारण समेकित किया गया।

दावा व जबाव दावा के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार स्पष्ट किये गये।

. आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा ग्राम दीवली में वयनामा दिनांक 13. 1.1953 के आधार पर 2/3 हिस्से के व हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है।

जिम्मे वादी

. आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा ग्राम दीवली में प्रतिवादी गण के नाम रहे राजस्व रिकॉर्ड में संपूर्ण हिस्से में से 2/3 हिस्से को कलमजन करा पाने के अधिकारी है।

जिम्मे वादी

आया वादीगण अपने 2/3 हिस्से पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा नेकेअधिकारीहै।

जिम्मे वादी

आया वादीगण को प्रतिवादी ने दिनांक 04.04.2014 को धमकी दी है।

जिम्मे वादी

आया वादीगण का वाद विवादग्रस्त आराजी पर कब्जे के अभाव में व वाद का कारण दिनांक 04.04.2014 पैदा न होने के कारण काबिल खारिजी है।

जिम्मे प्रतिवादी

आया वादी का वाद रेस जुडी केटा एवं वार टू फरदर सूट के सिद्धान्त पर काबिले खारिजी है।

जिम्मे प्रतिवादी

आया वादी का वाद बेरून मियाद है।

जिम्मे प्रतिवादी

कन्सोलीडेट वाद संख्या 56/14 के तहत वादी प्रतिवादीगण को पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादी

अनुतोष :–

वाद बिन्दु निर्धारण के बाद वादी द्वारा साक्ष्य में प्रदर्श:– पी 1 विकय पत्र, प्रदर्श:– पी 2 जमाबन्दी संख्या 69 ग्राम दीवली, प्रदर्श–पी 3 जमाबन्दी सं0 2012, प्रस्तुत किये व मौखिक साक्ष्य पी डब्ल्यू–1 द्वारिका प्रसाद , पी डब्ल्यू – 2 लक्ष्मीराम पी डब्ल्यू–3 राधेश्याम द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह पूर्ण की गई।

प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2070–73 प्रदर्श– डी 1, सत्य प्रतिलिपि

जमाबन्दी संवत 2014–17 प्रदर्शः– डी 27 , जमाबन्दी संवत 2009 –12 प्रदर्श डी 28, जमाबन्दी संवत 2037 प्रदर्श डी 29, नामान्तकरण संख्या 429 विरासत रामजीलाल प्रदर्शः– डी 30, खसरा गिरदावरी प्रदर्शः– डी 31 से डी 40 तक, मूलवाद एसडीओ बयाना पूर्ववाद की नकल प्रदर्श डी 41, जिला अभिलेखागार से प्राप्त सूचना पूर्ववाद के संबध में डी 42, सत्य प्रतिलिपि आदेशिका दिनांक 12.07.1974 प्रदर्शः– डी 43, नकल दावा द्वारिका बनाम रामजीलाल प्रदर्श :– डी 44, नकल दावा श्रीमति कलावती वगै. बनाम रामजीलाल वगै. प्रदर्श डी 45 मौखिक साक्ष्य डी डब्ल्यू – 1 जगन्नाथ, डी डब्ल्यू – 2 पूरन, व डी डब्ल्यू – 3 सुआ को परिक्षित कराया तथा जिनमें वकील वादी द्वारा जिरह पूर्ण की गई ।

हमने विद्यवान अधिवक्ताओं की बहस सुनी वादी अधिवक्ता द्वारा दावें में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस पेश की तथा प्रतिवादी अधिकक्ता द्वारा जबाब दावें में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस पेश की ।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया व प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का अवलोकन किया उभयपक्ष की दलीलों व बहस पर मनन किया और तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा ग्राम दीवली में वयनामा दिनांक 13. .1953 के आधार पर 2/3 हिस्से के वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है।

–यह है कि वादी की दलील अनुसार आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 12 बीघा 6 विस्वा को ांक 13.01.53 को इसके मालिक हिस्सेदार मोहरसिंह से वादी द्वारको प्रसाद प्रतिवादी के पिता ीलाल एवं वादी राधेश्याम के दत्तक पिता धर्मा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से क्रय किया था तथा दिन मौके पर कब्जा प्राप्त कर काबिज हो गये और उसी प्रकार तादात्म तक काश्त करते चले आ रहे तिवादी के पिता रामजीलाल ने अपने भाई द्वारका प्रसाद व धर्मा की लाइजमी में काश्त अपने नाम दर्ज ली।

वादी ने अपना दावा इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा घा 6 विस्वा को दिनांक 13.01.53 को इसके मालिक हिस्सेदार मोहरसिंह से वादी द्वारका प्रसाद दी के पिता रामजीलाल एवं वादी राधेश्याम के दत्तक पिता धर्मा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय था। उसी दिन मौके पर कब्जा प्राप्त कर काबिज हो गये। उसी प्रकार तादात्म तक काश्त करते चले हैं प्रतिवादी के पिता रामजीलाल ने अपने भाई द्वारका प्रसाद एवं धर्मा की लाइजमी में राजस्व में काश्त अपने नाम दर्ज कराली। जबकि नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 02.11.1958 को मौके का कब्जा पाये जाने एवं रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर मालिक खातेदारी दर्ज करने के इन्द्राज स्वीकृत कर दिया तथा जमाबन्दी में इन्तकाल हवाला तो पटवारी ने दिया है। परन्तु स्पष्ट इन्द्राज गये व जमाबन्दी में पूर्व के इन्द्राज चलते रहे।रामजीलाल सभी भाईयों में बडा होने के कारण सी के नाम होते रहे परन्तु कब्जे और काश्त में कोई व्यवधान नहीं था। रामजीलाल की मृत्यु के पुत्र जगन्नाथ के बदनीयत आ गई तथा राजस्व अभिलेखों का नाजायज फायदा उठाते हुए दा कर दिया।वादी को खातेदार मानने से इन्कार कर दिया इसलिए दावा करना पडा।

लेकिन काबिज होने के संबंध में वादी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं [illegible] प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत [illegible]

अपने भाई द्वारका प्रसाद एवं धर्मा की लाइजमी में राजस्व अभिलेखों में काश्त अपने नाम दर्ज करा ली। लेकिन कैसे कराई इस बावत कोई साक्ष्य सबूत वादी द्वारा न्यायालय में पेश नहीं किया गया। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि उक्त कृषि भूमि पूर्व से ही प्रतिवादी रामजीलाल के नाम से थी। अतः तनकी नम्बर 1 को वादी सिद्ध करने में असफल रहा है। तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

जिम्मे वादी

2. आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा ग्राम दीवली में प्रतिवादी गण के नाम हो रहे राजस्व रिकॉर्ड में संपूर्ण हिस्से में से 2/3 हिस्से को कलमजन करा पाने के अधिकारी है।

—यह है कि वादी की दलील अनुसार दावा होने पर प्रतिवादी जगन्नाथ पुत्र रामजीलाल ने उपस्थित होकर जबाव दावा प्रस्तुत किया और दावे के सभी तथ्यों से इन्कार करते हुए उसने अपनी ओर से यह तथ्य दर्ज कराये है कि विवादित भूमि पर उसका पिता रामजीलाल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही गैर मौरौसी दर्ज है तथा वह गैर मौरौसी टिनेंट होने के आधार पर ही नियमानुसार खातेदार दर्ज हुए व उनकी मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी विरासत से खातेदार दर्ज हुआ।

लेकिन न्यायालय का मानना है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा व उपलब्ध रिकॉर्ड से प्रतिवादी के तथ्यों की पुष्टि होती है।

वादी अनुसार AIR 1994 SC, 274 (ए) एवं AIR 1989 SC 218 के अनुसार प्रतिवादी मात्र अपने पिता के नाम गैर मौरौसी इन्द्राजों के आधार पर खातेदारी देना बताते हैं, परन्तु न्यायालय के समक्ष उसके आधार साबित नहीं कर सके हैं। अतः प्रतिवादी की खातेदारी गलत है गैर कानूनी है कलमजन किये जाने योग्य है।

ऐसा कथन वादीगण द्वारा किया गया है। लेकिन जब भूमि पूर्व से ही प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी और तब से निरन्तर चली आ रही है तो प्रतिवादी की खातेदारी गलत कैसे ?

यह कि तर्क के लिए मान लिए जाये कि रामजीलाल के गैर मौरौसी इन्द्राज सही थे तो उनमें भी वादी हिस्सेदार माने जायेंगे। प्रतिवादी का पिता रामजीलाल वादी नम्बर 1 और वादी संख्या 2 के पिता धर्मा का सगा भाई था तथा तीनों एक पिता चिरंजी की व एक ही परिवार था व रामजीलाल सबसे बडा भाई था । स्टेट के समय में सबसे बडा भाई का नाम ही राजस्व अभिलेखों में होता था तथा पूरा सम्पूर्ण भूमि का मालिक /काबिज काश्तकार माना जाता था लेकिन वादी द्वारा ऐसा कोई आदेश /नियम न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे उक्त कथन साबित हो सके और साथ ही नामान्तकरण संख्या का इन्द्राज (अमल) जमाबन्दी में कभी आया हो इस तथ्य का कोई प्रमाण वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। अतः इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी संख्या 1 व 2 का नाम इन्द्राज से रह गया। अतः तनकी नम्बर 2 को वादी सिद्ध करने में असफल रहा है। तनकी नम्बर 2 भी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

जिम्मे वादी

3. आया वादीगण अपने 2/3 हिस्से पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी

—यह है कि वादी के अनुसार प्रतिवादी मोहनसिंह हिस्सेदार को विवादित भूमि का मालिक नहीं मानता है परन्तु उसने अपने जबाव दावा एवं बयानों में नहीं बताया है कि वह किस हिस्सेदार

प्रतिवादी अपनी काश्तकारी और कब्जे का उद्गम साबित करने में नाकाम रहा ये कथन वादी द्वारा कहा गया है।

लेकिन यहां न्यायालय का मानना है कि वादी द्वारा भी यह उद्गम अपने पक्ष में साबित नहीं किया जा सका ।

यह है कि वादी की दलील अनुसार दावा होने पर प्रतिवादी जगन्नाथ पुत्र रामजीलाल ने उपस्थित होकर जबाव दावा प्रस्तुत किया और दावे के सभी तथ्यों से इन्कार करते हुए उसने अपनी ओर से यह तथ्य दर्ज कराये है कि विवादित भूमि पर उसका पिता रामजीलाल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही गैर मौरौसी दर्ज है तथा वह गैर मौरौसी टिनेंट होने के आधार पर ही नियमानुसार खातेदार दर्ज हुए व उनकी मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी विरासत से खातेदार दर्ज हुआ।

लेकिन न्यायालय का मानना है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व उपलब्ध रिकॉर्ड से प्रतिवादी के तथ्यों की पुष्टि होती है।

वादी अनुसार AIR 1994 SC, 274 (ए) एवं AIR 1989 SC 218 के अनुसार प्रतिवादी मात्र अपने पिता के नाम गैर मौरौसी इन्द्राजों के आधार पर खातेदारी देना बताते हैं, परन्तु न्यायालय के समक्ष उसके आधार साबित नहीं कर सके हैं। अतः प्रतिवादी की खातेदारी गलत है गैर कानूनी है कलमजन किये जाने योग्य है।

ऐसा कथन वादीगण द्वारा किया गया है। लेकिन जब भूमि पूर्व से ही प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी और *तब से निरन्तर चली आ रही है।*

यह कि तर्क के लिए मान लिए जाये कि रामजीलाल के गैर मौरौसी इन्द्राज सही थे तो उसमें भी वादी हिस्सेदार माने जायेंगे। प्रतिवादी का पिता रामजीलाल वादी नम्बर 1 और वादी संख्या 2 के पिता धर्मा का सगा भाई था तथा तीनों एक पिता चिरंजी की व एक ही परिवार था व रामजीलाल सबसे बडा भाई था । स्टेट के समय में सबसे बडा भाई का नाम ही राजस्व अभिलेखों में होता था तथा पूरा परिवार भूमि का मालिक /काबिज काश्तकार माना जाता था लेकिन वादी द्वारा ऐसा कोई आदेश /नियम *न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे उक्त कथन साबित हो सके और साथ ही नामान्तकरण* संख्या 39 का इन्द्राज (अमल) जमाबन्दी में कभी आया हो इस तथ्य का कोई प्रमाण वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। अतः इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी संख्या 1 व 2 का नाम इन्द्राज से रह गया।

साथ ही खसरा गिरदावरी राजस्व रिकॉर्ड धारा 140 लैण्ड रैवन्यु एक्ट के तहत प्रथम दृष्टया उसकी खातेदारी की सर्वोत्तम साक्ष्य है और ऐसे अभिलिखित खातेदार को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से वंचित नहीं किया जा सकता ।

इसलिए वादीगण का प्रश्नगत भूमि पर खातेदार नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः तनकी नम्बर 3 को वादी सिद्ध करने में असफल रहा है। तनकी नम्बर 3 भी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

जिम्मे वादी

क्या वादीगण को प्रतिवादी ने दिनांक 14.04.2014 को धमकी दी है।

— यह है कि वादी की दलील अनुसार वादीगण को प्रतिवादी द्वारा दिनांक 14.04.14 को

तहसील भुसावर में खुले आम धमकी दी कि वह (प्रतिवादी) उपरोक्त आराजी को रहन, वय, मुन्तकिल कर देगा व वादीगण को उसके हिस्से से महरूम कर देगा ।

लेकिन वादीगण द्वारा इसके पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया और वादी उपरोक्त मद संख्या 5,6 को किसी भी प्रकार से साबित करने में विफल रहा है।

अतः तनकी नम्बर 4 को वादी सिद्ध करने में असफल रहा है। तनकी नम्बर 4 भी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

जिम्मे वादी

5 आया वादीगण का वाद विवादग्रस्त आराजी पर कब्जे के अभाव में व वाद का कारण दिनांक 04.04.2014 को पैदा न होने के कारण काबिल खारिजी है।

– यह है कि वादी की दलील अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा बाके ग्राम दीवली तहसील भुसावर के संबध में घोषणा , खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इन्द्राज वाद जेरकार है जिस वाद में वादी प्रतिवादी के मध्य जो मुख्य विवाद है, वह निम्न प्रकार है–

"क्या वादी विवादित आराजी में 2/3 पर वाहिस्सा बराबर प्रतिवादी 1/3 पर खातेदार है।

यह है कि वादी का जो वाद है वह मुख्य रूप से रजिस्ट्री दिनांक 13.01.53 पर आधारित है।

इस वाद को तय करने से पूर्व माननीय न्यायालय के समक्ष यह बिन्दु विचारणीय है कि रजिस्ट्री दिनांक 13.01.53 से वादी एवं प्रतिवादीगण को क्या अधिकार प्राप्त होते है?

दिनांक 13.01.53 यानि संवत 2012 में मौहरसिंह के खाते में जो कृषि आराजी दर्ज थी वह गैर मौरूसी दर्ज थी और कुल आराजी 6 बीघा 3 बिस्वा दर्ज थी। इसके संबंध में प्रतिवादी का कथन है कि 1. क्या मौहर सिंह की गैर मौरौसी जमीन बेचने का राईट , टाइटल और इन्ट्रेस्ट था या नहीं , 2. क्या मौहरसिंह को 6 बीघा 3 बिस्वा से अधिक जमीन बेचने का अधिकार था ? 3.यदि मौहरसिंह के द्वारा 12 बीघा 6 विस्वा भूमि के संबध में सेल डीड एक्जीक्यूट की है तो उससे क्या वादी व प्रतिवादीगण को राईट , टाइटल और इन्ट्रेस्ट 12 बीघा 6 विस्वा में प्राप्त होंगे ?।

– यह है कि वादी जिस टाइटल के आधार पर वाद लेकर आया है उस टाइटल में उपरोक्त विचारणीय बिन्दु है और उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं का उत्तर स्पष्ट है कि गैर मौरौसी दर्ज कृषि भूमि को बेचने का अधिकार मौहरसिंह को नहीं था। इस कारण वह दिनांक 13.01.53 को सेल डीड एक्टीक्यूट नहीं कर सकता था और इसी कारण वह 12 बीघा 6 बिस्वा जमीन की रजिस्ट्री भी एक्टीक्यूट नहीं कर सकता था। इस कारण से वाद की विषय वस्तु में वादी को सेल डीड दिनांक 13.01.53 से किसी भी प्रकार का राईट टाइटल और इन्ट्रेस्ट कियेट नहीं होता है, इस कारण से वादी का वाद खारिज योग्य है।

यह है कि उक्त आराजी में प्रतिवादी का 60 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है और रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 13.01.53 से जब किसी भी पक्षकारों को राईट टाइटल और इन्ट्रेस्ट कियेट नहीं हुए हों तो "ज्वाइंट" पजेशन का प्रजम्शन नहीं लिया जा सकता, इस कारण वादी के द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त AIR 1974 SC 1814 पेश किया है वह प्रस्तुत प्रकरण में एप्लीकेबल नहीं है। इस कारण वादी के द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में एप्लीकेबल नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी के कब्जे के संबंध में कोई

मंजूर किया जाना अंकित है। नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 02.11.58 का जमाबन्दी में कोई इन्द्राज नहीं है। अप्रार्थी के पिता स्व. रामजीलाल का नाम जमाबन्दी संवत 2010 से 2053 व 2014 से 2017 में गैर मौरौसी गैर खातेदार दर्ज था। जमाबन्दी संवत 2022 से 2025 में खातेदार दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2010 से रामजीलाल पुत्र चिरंजी ब्राहमण का निरंतर कब्जा काश्त दर्ज है। उक्त आराजी के संबध में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना में मुकदमा नम्बर 1490/1972 उनवानी द्वारिका बनाम रामजीलाल दिनांक 18.03.74 को खारिज हो चुका है। जिसकी पत्रावली तलफ हो चुकी है।

"**धारा 140 इन्द्राजों के लिए उपधारणा** – अधिकार अभिलेखों में किये गये समस्त इन्द्राजों के सही होने की उपधारणा की जावेगी, जब तक कि विपरीत सिद्ध न कर दिया जावे।

अतः तनकी नम्बर 5 को प्रतिवादी सिद्ध करने में सफल रहा है। तनकी नम्बर 5 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

जिम्मे प्रतिवादी

6. आया वादी का वाद रेस जुडी केटा एवं वार टू फरदर सूट के सिद्धान्त पर काबिले खारिजी है।

– यह है कि जहां तक रेसज्यूडिकेटा का प्रभाव है , उक्त संबध में जो पत्रावली में जो रिकार्ड उपलबध है जिसमें दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य रिकॉर्ड पर है,उससे एप्लाई होता है, जहॉ तक वादी का प्रश्न है वादी भी प्रस्तुत वाद में पक्षकार था उस दावे के निर्णय की जानकारी स्वंय वादी को भी है। यहां यह भी अंकित किया जाना आवश्यक है कि जब तक रिपोर्ट आ जाएगी "पूर्व पत्रावली तलफ हो चुकी" है, उस स्थिति में जो मैटेरियल ऑन रिकॉर्ड पर है उसको कन्सीडर किया जाना चाहिए जैसा कि टीआई के आदेश पारित करते समय माननीय न्यायालय के द्वारा कन्सीडर किया गया।

यहां यह तथ्य भी एडमिटेड है कि गैर मौरौसी जमीन के संबध में ट्रांसफरी अधिकारी नहीं होते हैं और जैसा वादी ने स्वयं माना है, जहां तक वादी जिस रजिस्ट्री को आधार मानता है वह गैर मौरौसी जमीन के संबध में है और जमाबन्दी से दोगुनी जमीन 6 बीघा 3 बिस्वा की जगह 12 बीघा 6 विस्वा की है, इस कारण से रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर किसी भी पक्षकार को कोई लीगल राइट नहीं मिलता इस कारण धारा 140 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुआ।

सेल डीड दिनांक 13.01.53 को प्रतिवादी के लिये नल एण्ड वायड , प्रभावहीन , कलमजन कराया जाना आवश्यक नहीं है। क्योंकि जो दस्तावेज अपने आप में ही इनइफेक्टिव है, यानि कि जिस दस्तावेज के आधार पर केतागण को राईट , टाईटल व इन्ट्रेस्ट प्राप्त नहीं होता , उस दस्तावेज से वादी एवं प्रतिवादीगण के राईट , टाईटल व इन्ट्रेस्ट क्लीयर नहीं होते।

प्रतिवादीगण के द्वारा धारा 140 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया खातेदारी कब्जे की साक्ष्य है और 60 वर्ष से निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं ।

उपरोक्त वाद से पूर्व व वादीगण द्वारा एक वाद सन 1972 में उपखण्ड अधिकारी महोदय बयाना के यहां मुकदमा नम्बर 1490/72 व उनवानी द्वारिका प्रसाद बनाम रामजीलाल प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 18.03.74 को खारिज कर दिया था जिसकी पत्रावली तलफ हो चुकी है इसलिए उक्त वाद में वादीगण द्वारा उपरोक्त विवादित विषयवस्तु के सन्दर्भ में वाद का कारण उत्पन्न होना दिनांक 09.09.72 होना बताया है इसलिए वादी का वाद वादकरण के अभाव में काबिल खारिजी है।

वादीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये वाद उनवानी द्वारिका बनाम रामजीलाल वाद संख्या

अतः तनकी नम्बर 6 को प्रतिवादी सिद्ध करने में सफल रहा है। तनकी नम्बर 6 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

जिम्मे प्रतिवादी

7. आया वादी का वाद बेरून मियाद है।

– यह है कि उक्त आराजी के संबध में प्रार्थीगण द्वारा दावा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना में मुकदमा 1490/1972 उनवानी द्वारिका बनाम रामजीलाल दिनांक 18.03.74 को खारिज हो चुका है जिसकी पत्रावली भी तलफ हो चुकी है अतः वादी का वाद बेरून मियाद है। चूंकि वादी द्वारा इस बावत पूर्व में भी मुकदमा किया जा चुका था।

उपरोक्त वाद से पूर्व व वादीगण द्वारा एक वाद सन 1972 में उपखण्ड अधिकारी महोदय बयाना के यहां मुकदमा नम्बर 1490/72 व उनवानी द्वारिका प्रसाद बनाम रामजीलाल प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 18.03.74 को खारिज कर दिया था जिसकी पत्रावली तलफ हो चुकी है। इसलिए उक्त वाद में वादीगण द्वारा उपरोक्त विवादित विषयवस्तु के सन्दर्भ में वाद का कारण उत्पन्न होना दिनांक 09.09.72 होना बताया है इसलिए वादी का वाद वादकरण के अभाव में काबिल खारिजी है।

वादीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये वाद उनवानी द्वारिका बनाम रामजीलाल वाद संख्या 1490/72 व वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के पिता के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त वाद न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी द्वारा फैसल किया जा चुका है । इसलिए वादी का उपरोक्त वाद बार टू फरदर सूट के सिद्धान्त पर चलने योग्य नहीं है। इसलिए वाद वादकरण 1972 में ही उत्पन्न होने से यह वाद बेरून मियाद है।

अतः तनकी नम्बर 7 को प्रतिवादी सिद्ध करने में सफल रहा है। तनकी नम्बर 7 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

जिम्मे प्रतिवादी

8. कन्सोलीडेट वाद संख्या 56/14 के तहत वादी प्रतिवादीगण को पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

– यह है कि कन्सोलीडेट वाद संख्या 56/14 में वादी जगन्नाथ है, जो प्रकरण संख्या 23/14 में प्रतिवादी है, के पक्ष में उपर्युक्त समस्त तनकियात निर्णित होने के कारण यह तनकी भी इनके पक्ष में निर्णित की जाती है।

जिम्मे प्रतिवादी

9. अनुतोष :– चूंकि तनकी नम्बर 1,2,3,4, वादी के विरूद्ध और तनकी नम्बर 5,6,7,8 प्रतिवादी के पक्ष में ... किये गये हैं अतः वादी वाद पत्र में अंकित अनुसार अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं।

दावा वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर होवे।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना

उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (भरतपुर)